# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/100

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
| --- | --- | --- |
| 1 पप्पुराम पुत्र मांगीलाल<br>2 मधु देवी पत्नी मांगीलाल<br>जातियान साद निवासीयान महादेव नगर खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर | | राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्रीबाबूलाल विश्नोई प्रार्थीगण ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

**निर्णय** दिनांकः– 27/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खेत खसरा नंबर 785 व 789 मौजा महादेव नगर के अभिलिखित खातेदार है तथा मौके पर काबिज व काश्त है। उक्त दोनों ही खसरे गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 739 के पश्चिम की तरफ चिपते हुए आए हुए है। खसरा नंबर 785 का केवल एक कौना इस गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 739 को स्पर्श करता है। यह है कि उक्त रास्ता वक्त बंदोबश्त से लेकर आज दिन तक निर्विवाद रूप से चलायमान रहा है। रास्ते के अवस्थिति के बारे में कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं रही है। यह है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त खसरा नंबर 739 पर सड़क बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। जिस पर खसरा नंबर 708 व 709 के खातेदारों ने आपत्ति की एवं बताया कि रास्ता जहां राजस्व रैकर्ड में दर्ज है वहां पर नापतौल करके सड़क बनाई जाए। जिस पर सर्वप्रथम दिनांक 16.05.2023 को नाप किया गया तत्पश्चात् दिनांक 26.06.2023 को माप किया एवं उसके बाद दिनांक 19.02.2024 को माप किया गया है। उक्त तीनों ही माप एक समान नहीं है। उसके बावजूद भी दिनांक 13.03. 2024 को अप्रार्थी के नुमायदे कई असामाजिक तत्वों के सांथ मौके पर आंए व प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 789 की पूर्वी माठ को खुर्द.बुर्द कर दिया एवं खसरा नंबर 785 के कौने पर जो माठ कायम थी उसको भी हटा दिया। जिसके कारण अब प्रार्थीगण के उक्त दोनों खेतों की पूर्वी माठे की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। प्रार्थीगण किसान वर्ग के अशिक्षित लोग है जो अपने उक्त खेतों की माठ को स्थायी रूप से कायम कर फसल की रक्षा हेतु पहले की तरह ही चारदीवारी बनाना चाहते है। उक्त दोनों ही खेत गांव की सरहद के ने कमबिन्दुओं के पास ही आए हुए है। जिनका नेकमबिन्दुओं से माप किया जाना न्यायोचित रहेगा। पूर्व में तीन बार नाप किए गए लेकिन बावजूद निवेदन नेकमबिन्दुओं से नाप नहीं किए जा रहे है। यह है कि प्रार्थीगण ने वक्त बंदोबस्त कायम किए गए नक्शे को वर्तमान की गूगल तकनीक से प्रतिस्थापित करवाया तो मालूम चला कि जो भी नाप किए जा रहे है वो गलत है।.माठ जहां वर्तमान में कायम थी जहां प्रार्थीगण द्वारा दीवार बनाई गई थी वो प्रार्थीगण के खेत की सीमा जहां तक आती है उससे भी अंदर थी एवं वास्तविक रास्ता जो नक्शे के अनुसार चलना चाहिए था वो प्रार्थीगण के खेत से काफी दूर तक कायम होना चाहिए। उक्त तथ्यों के सामने होते हुए भी नेकमबिन्दुओं से नाप नहीं कर मनमाने रूप से न केवल नाप किया किया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में उगाई गई फसल की रक्षा हेतु बनाई गई दीवार को भी हटा दिया इसलिए प्रार्थीगण जरिये पत्थरगढ़ी अपनी सीमा कायम करना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर खेत खसरा नंबर 789 व 785 की पूर्वी सीमाएं भू प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों से नेकमबिन्दुओं से नाप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाए जाने का आदेश फरमाया जावे एवं अगर वर्तमान में कायम की गई सड़क सीमा प्रार्थीगण के सीमाओं में आती है तो वहां से ग्रेवल अप्रार्थी के खर्चे से हटवाकर कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम महादेव नगर के खसरा नम्बर 785 व 789 कृषि का सीमाज्ञान कर पत्थरगडी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान की बहस सुनी, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए राजस्व ग्राम महादेव नगर के खसरा नम्बर 785 व 789 कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम महादेव नगर के खसरा नम्बर 785 व 789 कृषि भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रुबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो ।

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर